न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या–73 / 2018

1–श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री मुन्नालाल जाति जाटव निवासी ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

......................वादिया

बनाम

1–श्रीमती मीना पत्नी रामनिवास 2–श्रीमती रधुवीरी पत्नी प्रतापसिंह समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ....प्रतिवादीगण

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

........................तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त व स्थाई
निषेधाज्ञा एवं सादेश व्यादेश हेतु आधीन धारा 53, 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति – 1– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट............... (वादिया)

निर्णय दिनांक 06.04.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खसरा नम्बर 478, 479 स्थित ग्राम सरकना पटवार हल्का कौलारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना अनुपस्थित अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 09.12.2020 को दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांकःराजस्व / 2021 / 346 दिनांक 13.09.2021 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। विद्वान वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम सरकना पटवार हल्का कौलारी तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता हैः–

[...]मीरादेई पत्नी मुन्नालाल कौम जाटव सा0 कौलारी खातेदार।

[...]सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	478/2	0.2824	नहरी दोयम

योग किता–1 रकवा–0.2824 हैक्टेयर

2–मीना पत्नी रामनिवास कौम जाटव सा0 कौलारी खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	478/1	0.1222	नहरी दोयम
2.	479/2	0.1602	नहरी दोयम

योग किता–2 रकवा–0.2824 हैक्टेयर

3–रघुवीरी पत्नी प्रतापसिंह कौम जाटव सा0 कौलारी खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	479/1	0.2824	नहरी दोयम

योग किता–1 रकवा–0.2824 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान् की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

…न अधिकारी – ललित मीना (आर० ए० एस०)

…ण संख्या–73 / 2018

1–श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री मुन्नालाल जाति जाटव निवासी ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

……………………वादिया

वनाम

1–श्रीमती मीना पत्नी रामनिवास 2–श्रीमती रघुवीरी पत्नी प्रतापसिंह समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ……………प्रतिवादीगण

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

……………………तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेश व्यादेश हेतु अधीन धारा 53, 188 आर.टी.ए.

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रुवरु मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री …………… एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम सरकना पटवार हल्का कौलारी तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार वटवारा किया जाता है :–

1–मीरादेई पत्नी मुन्नालाल कौम जाटव सा0 कौलारी खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	478 / 2	0.2824	नहरी दोयम
योग	किता–1	रकवा–0.2824 हैक्टेयर	

2–मीना पत्नी रामनिवास कौम जाटव सा0 कौलारी खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	478 / 1	0.1222	नहरी दोयम
2.	479 / 2	0.1602	नहरी दोयम
योग	किता–2	रकवा–0.2824 हैक्टेयर	

3–रघुवीरी पत्नी प्रतापसिंह कौम जाटव सा0 कौलारी खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	479 / 1	0.2824	नहरी दोयम
योग	किता–1	रकवा–0.2824 हैक्टेयर	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान् की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप

रें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 06.04.2022 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ